

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमराँव

स्वत्व वाद सं०—122/2015

सी०आई०एस० — 322/2015

विक्रमा पाण्डेयवादी।

बनाम्

राजकुमार साह वगै०.....प्रतिवादीगण।

आदेश

29.07.2025

वादी की पैरवी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 03.06.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी० पी० सी० को प्रचालित करते हुये यह कथन करते हैं कि वादी ने यह वाद बँटवारा हेतू दाखिल किया है। इस वाद के अर्जी में टाईपिस्ट की गलती से चन्द एरावत छुट गया है जिसका अर्जी में संशोधन होना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित अर्जी मरम्मत फॉर्मल नेचर का है जिससे मुकदमा की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए, अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

पुकार पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित करते हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के तरफ से अनापत्ति भी अंकित किया गया है। वादी का आवेदन महज औपचारिक है एवं जिससे मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 03.06.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी० पी० सी० को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेशित किया जाता है कि कार्यालय के समक्ष आवेदन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय संशोधन पश्चात् सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक—28.08.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)

**सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमराँव (बक्सर)**